



Neutral Citation No - 2026:AHC:29278

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2025 की 16566

घनश्याम वर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: ब्रज मोहन सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रज मोहन सिंह तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमाव को सुना गया।

2. विपक्षी पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से यह कथन किया है कि वे कोई अग्रिम शपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते, अतः पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका प्रारंभिक चरण पर ही निर्णीत की जा रही है।

3. रिट याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि वह तहसील मेजा, जिला प्रयागराज में राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) के पद पर तैनात था और दिनांक 29.09.2025 को उसे निलंबित किया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उसी को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. इस न्यायालय ने दिनांक 07.11.2025 को रिट याचिका ग्रहण करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

"रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि एक अनिवार्य पूर्वापेक्षित शर्त यह थी कि रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करते समय प्रथम दृष्टया यह संतोष अभिलिखित किया जाना चाहिए था कि उस पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जाएगी, किन्तु उक्त प्रक्रिया का अभाव है। अश क कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; 2021 (7) ADJ 182 (LB) के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता अनुदेश प्राप्त करने हेतु समय की प्रार्थना करते हैं।

यह प्रकरण दिनांक 21.11.2025 को प्रारंभिक चरण पर सूचीबद्ध किया जाए।"

6. आदेश पारित होने के पश्चात्, उप जिलाधिकारी, मेजा, प्रयागराज के हस्ताक्षर के अधीन आज अनुदेश दिनांकित 09.09.2026 अग्रेषित किए गए हैं जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है तथा परिशिष्ट-A के रूप में चिह्नित किया जाता है।

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता दिनांक 31.12.2025 को अधिवर्षित हो गया है और इसलिए अब निलंबन आदेश उसके विरुद्ध प्रवर्तित अथवा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। निवेदन है कि यदि विभागीय जाँच को किसी तार्किक परिणति तक न पहुँचाया गया हो, तो रिट याचिकाकर्ता अनन्तिम पेंशन के भुगतान का अधिकारी है।

8. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 09.09.2025 को आरोप-पत्र निर्गत किया गया, रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.12.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया तथा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जाँच आल्हया दिनांक 26.12.2025 को प्रस्तुत की गई। तथापि, अनन्तिम पेंशन के भुगतान के संबंध में रिट याचिकाकर्ता के दावे एवं अन्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया है तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया है।

10. प्रत्यक्षतः, रिट याचिकाकर्ता ने निलंबन आदेश दिनांकित 29.09.2025 को चुनौती दी थी, तथापि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान रिट याचिकाकर्ता दिनांक 31.12.2025 को अधिवर्षित हो गया। यद्यपि अनुदेशों के अनुसार दिनांक 09.09.2025 को रिट याचिकाकर्ता पर आरोप-पत्र तामील किया गया, जिसके उत्तर में रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.12.2025 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और तत्पश्चात् दिनांक 26.12.2025 को जाँच आख्या प्रस्तुत किया गया तथा रिट याचिकाकर्ता दिनांक 31.12.2025 को अधिवर्षित हो गया, इसलिए निलंबन आदेश अपनी उपयोगिता खो चुका है। इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाकर्ता अनन्तिम पेंशन तथा निलंबन की उस अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ते का भी अधिकारी है।

11. चूँकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उम्राव ने यह पक्ष लिया है कि इस संबंध में कारण बताओ सूचना निर्गत करते हुए कार्यवाहियों को तार्किक परिणति तक पहुँचाया जाएगा।

12. तदनुसार, रिट याचिका **निस्तारित** की जा रही है, अतः जिलाधिकारी, प्रयागराज से यह अपेक्षित है कि वे आज से 15 दिन की अवधि के भीतर श्री आर.एस. उम्राव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कारण बताओ सूचना निर्गत करें। रिट याचिकाकर्ता आगामी 15 दिन की अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करेगा तथा तत्पश्चात् एक माह की अवधि के भीतर अन्तिम आदेश पारित किया जाएगा और कार्यवाहियों को निष्कर्ष तक पहुँचाया जाएगा।

13. रिट याचिकाकर्ता को औपचारिकताओं की पूर्ति के अधीन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा तथा विधि के अनुसार अनन्तिम पेंशन का भी भुगतान किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"